विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन महोदय की अध्यक्षता में जन सेवा केन्द्र परियोजना अन्तर्गत जनपदवार चयनित डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) द्वारा स्थापित केन्द्रों की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 11.02.2016 पूर्वान्ह 11:30 बजे से मुख्य भवन, कक्ष सं0–80 में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः संलग्नानुसार।

जन सेवा केन्द्र परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2016 के अन्त तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 1 जन सेवा केन्द्र स्थापित किया जाना शासन की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है, जनपदवार चयनित डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) द्वारा स्थापित केन्द्रों की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में उपरोक्त डी.एस.पी. संस्थाओं द्वारा दिनांक 01.01.2016 से तद्दिनांक तक जन सेवा केन्द्र खोले जाने के कार्य की धीमी प्रगति होने तथा विगत् 2 माह में आ रही समस्याओं/शिकायतों के सम्बन्ध में व्यापक चर्चा की गयी, उल्लेखनीय है कि नवचयनित डी.एस.पी. संस्थाओं का जनपदवार स्थापित डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के मध्य अनुबन्ध/एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ है/हो रहा है, अतः जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी को डी.एस.पी. संस्था द्वारा एम.ओ.यू. की शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य नहीं करने की दशा में जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी को सम्बन्धित डी.एस.पी. की बैंक गारण्टी जब्त करने, अनुबन्ध समाप्त करने सहित पूर्ण कार्यवाही/निर्णय लेने का अधिकार है। अतः जनपद स्तर पर, जन सेवा केन्द्रों की स्थापना के कार्य की नियमित रूप से सघन समीक्षा एवं परियोजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रत्येक माह डी.ई.जी.एस. सोसाइटी द्वारा समीक्षा बैठक की जानी चाहिये एवं समीक्षा में मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार/चर्चा किये जाने हेतु निर्देशित किया गयाः–

i. जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर संचालित लोकवाणी केन्द्रों की सूचना, उनके जनपद में चयनित डी.एस.पी. संस्था को तत्काल उपलब्ध करा दी जायें जिससे उन्हें एकरूपता के साथ नये डी.एस.पी. के अधीन जन सेवा केन्द्र के रूप में नियमित हो सके।

ii. जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी एवं डी.एस.पी. संस्था के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षर की प्रक्रिया यथा शीघ्र पूर्ण करते हुये अधिक से अधिक जन सेवा केन्द्रों को खुलवाने हेतु नियमित रूप से डी.एस.पी. संस्था के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की जाये, जिसमें ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा समन्वय हेतु मुख्य भूमिका निभाई जानी चाहिये।

iii. डी.ई.जी.एस. सोसाइटी द्वारा डी.एस.पी. संस्था को ई–गवर्नेन्स सेल या कलेक्ट्रेट में बैठने हेतु व्यवस्था करायी जाये, जिससे जनपद में चयनित डी.एस.पी. संस्थाओं द्वारा जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के साथ जन सेवा केन्द्रों को खोलने के कार्य में दिन–प्रतिदिन आ रही समस्याओं से सुगमतापूर्वक अवगत कराया जाना सुनिश्चित हो सके एवं जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी द्वारा त्वरित निराकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जा सके।

iv. डी.ई.जी.एस. सोसाइटी की समीक्षा बैठक में डी.एस.पी. एवं वी.एल.ई. के मध्य उत्पन्न होने वाली समस्याओं एवं जनपद के जन सेवा केन्द्र संचालकों की कठिनाइयों/शिकायतों का जनपद स्तर पर हस्ताक्षरित अनुबन्ध/एम.ओ.यू. की शर्तों के आधीन समाधान किया जाना चाहिये।